I 566 19

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

208916

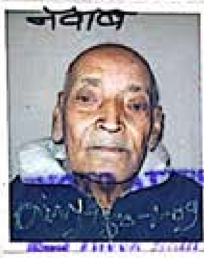

मुख्य कोषाधिकारी
29 DEC 2000
बाँदा

-786-

प्रलेख पत्र बैनामा

१= विक्रीत सम्पत्ति कृषिक भूमि है जो अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के मौजा **पचहरी** परगना व जिला बाँदा में स्थित है।

२= विक्रीत सम्पत्ति का विषण गत विवरण :-

क= विक्रीत सम्पत्ति पट्टा, नजूल, ट्रस्ट, चर्च व अन्य धार्मिक संस्थान की नहीं बरन वाद-विवाद एवं जेर-बारे से रहित

नि० अ० नियाज फातमा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

208917

मुख्य कोषाधिकारी
29 DEC 2008
बाँदा

-२-

संक्रमणीय भूमि धरी जायदाद है!

ख- विक्रीत सम्पत्ति का वर्तमान खाता खतौनी संख्या १७५ पर खसरा नम्बर ७०८ का विक्रीत रकबा ०.३०८ हेक्टेयर यानी ०.७६ एकड़ है!

ग- विक्रीत सम्पत्ति निकट वर्ती सड़क बाँदा बबेरू मुख्य मार्ग से लगी हुई है जिसके २०० मीटर त्रिज्यान्तर्गत कोई भी ऐसी सम्पत्ति एवं गतिविधि नहीं है जिससे कि निम्न आँकलित मालियत पर कोई प्रति कूल प्रभाव पड़ता हो!

घ- विक्रीत सम्पत्ति कृषिक खेतों के मध्य स्थित पूर्णतया कृषि उपयोग/उपयोगिता की कृषि भूमि है जिसे कि कृषि प्रयोजनार्थ अन्तरित किया जा रहा है!

नि० अ० नियाज फातमा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 508872

कोषागार 2 JAN 2009 बाँदा

५= विक्रीत सम्पत्ति विकास शुल्क सीमा के अन्दर स्थित है एवं पूर्व में कोई इकरार-बय बाद नहीं किया गया है!

६= क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं है!

७= विक्रीत सम्पत्ति की प्रति फलराशि मु० ४०००००) चार लाख रूपये है जो पूर्व में प्राप्त हो गयी है!

८= विक्रीत सम्पत्ति की कुल सरकारी मालियत मु० ६७००००) छः लाख सत्तर हजार रुपये होती है जो वर्तमान मूल्य सूची के पृष्ठ-४- के क्रमांक "ख" मद्दे नगरीय क्षेत्र के वर्ग "ब" के अनुसार निर्धारित दर

नि० अ० रियाज फातमा

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

033893

कोषागार
2 JAN 2009
बांदा

-४-

मु० ७०००/ सात हजार रुपये डिसमिल की दर से और सड़क से लगी होने के कारण २५% अधिक जोड़ कर आँकलित किया गया है !

५= क्रेता द्वारा छूट काट कर ६% की दर से मुबलिग ४६९००/ छियालिस हजार नौ सौ रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है !

मैं कि **नवाब** पुत्र श्री नंगू कौम मुसलमान पेशा कृषि निवासी मुहल्ला अलीगंज शहर बाँदा परगना व जिला बाँदा का हूँ मै मुकिर निम्न वर्णित भूमि का तनहा

नि० अ० नियाज फातमा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

759020

(का तनहा) मालिक व स्वामी हूँ जिसके विक्रयादि के सम्पूर्ण अधिकार मुझ मुकिर को प्राप्त है जो इस समय हर प्रकार के जेर-बार से मुक्त व पाक साफ है चूँकि मुझ मुकिर को आवश्यक कार्य एवं घर खर्च हेतु रुपयों की सीत आवश्यकता है अतएव शुद्ध चित्त व स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में निम्न वर्णित भूमि को बएवज रु० 400000) **चार लाख रुपये** जिसके आधे रु० 200000) दो लाख रुपये होते है के बदले श्री **आसिफ मजीद** नाबालिग उम्र 17 वर्ष पुत्र श्री मोहम्मद शाकिर संरक्षिका (हकीकी नानी) श्रीमती नियाज फातमा पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद हसन कौम मुसलमान निवासी मुहल्ला आजाद नगर शहर बाँदा परगना व जिला बाँदा को विक्रय करके सम्पूर्ण अधिकार

नि० अ० नियाज फातमा

५/२०/

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 265027

एवं मौके पर कब्जा दखल देकर के क्रेता को अपने ही समान पूर्ण रूपेण मालिक व स्वामी बना दिया और कुल विक्रय धन मु० 400000/ चार लाख रुपये मुझ मुकिर ने क्रेता उक्त से पहिले ही प्राप्त कर लिया है अब कुछ भी पाना शेष नही है आज से क्रेता विक्रीत भूमि को चाहे जिस प्रकार से प्रयोग में लावें उस पर खुद काबिज दाखिल रहें या किसी अन्य को रेहन व बय करें इसमें मुझ मुकिर व मेरे वारिसानों को न कोई उज्र अभी है और न कभी भविष्य में होगी यदि विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग मुझ मुकिर के स्वामित्व की कमी के कारण क्रेता के हक से निकल जावें तो कुल विक्रय धन मय हानि व वय के वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी

नि० अं० नियाज फातमा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 265028

मुझ मुश्किर व मेरे वारिसान कायम मुकामान पर होगी!

अतएव खूब सुन व सोच समझ कर पढ़वा कर शुद्ध चित्त व स्वस्थ्य इन्द्रिय की दशा में बिना किसी भी नाजायज आग्रह व दबाव के अपनी पूर्ण राजी खुशी व सर्व सम्मति से यह **विक्रय पत्र** लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे!

विवरण व सीमा चौके मौजा **पचहरी** परगना व जिला बांदा जो सिंचित एक फसला एल पडुवा किस्म की की भूमि है और बांदा बबेरू रोड़ से लगी हुई पूर्णतया: कृषि उपयोगिता की कृषि भूमि है जिसे कृषि प्रयोजनार्थ क्रय किया गया है जिसका विक्रीत रकबा 0.76 एकड़ है जिसकी कुल सरकारी मालियत वर्तमान सर्किल सूची के वर्ग "ब" के अनुसार

नि० क० नियाज फातमा

आज दिनांक 09-01-2009 को एक किता अनरजि स्टाम्प : 8
कीमती 1001/- को शामिल नं. 06 के ।

विक्रेता

Registration No 566 Year : 2009 Book No. 1

0101 नवाब

नंगू

मु0 अलीगंज शहर बांदा

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 265030

संरक्षिका श्रीमती नियाज़ फातमा पहिले हस्ताक्षर बनाती थी परन्तु आँखों में कम दिखाई देने व हाथों में कम्पन होने के कारण आज इस बैनामा पत्र में नि० अं० लगाया है!

गवाह शहजादे S/o नवाब निवासी मु० अलीगंज-बाँदा

गवाह अनवर S/o नवाब निवासी मु० अलीगंज बाँदा

लेखन तिथि ०९ जनवरी सन् २००९ ई०

दस्तावेज लेखक का नाम-शिवशंकर श्रीवास्तव
अनुज्ञप्ति संख्या 3/2006 मार्च सन् 2007 तक विधिमान्य
शुल्क 2000/- प्राप्त किया जिला स्थान कचेहरी, बांदा
लेखक के हस्ताक्षर... शिवशंकर श्रीवास्तव ब-ग-
बाँदा

मौखिक वर्णित हस्ताक्षरित

नि० अं० नियाज फातमा

09.01.2009 एक किता ... 9
100/- ... 06

क्रेता

Registration No. 566 Year : 2009 Book No. 1

0201 नियाज फातमा वहैसियत प्रा0सं0नाबा0पुत्र यथाप्रलेख
स्व0 मोहम्मद हसन
मु0 आजाद नगर शहर बांदा
गृहिणी